प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट/ Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/ Email : dicgc@rbi.org.in

19 जून 2026

जमा बीमा योजना, 1961 - पंजीकरण रद्द करना - श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ओपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकाक, कर्नाटक.

Deposit Insurance Scheme, 1961 - Cancellation of Registration - Shree Mahalaxmi Urban Co-operative Credit Bank Ltd., Gokak, Karnataka.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जून 2026 के आदेश द्वारा **श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ओपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकाक, कर्नाटक** का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक **18 जून 2026** को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है।

The Reserve Bank of India (RBI), vide order dated June 18, 2026, 2026 has cancelled the license of **Shree Mahalaxmi Urban Co-operative Credit Bank Ltd., Gokak, Karnataka.** The bank ceases to carry on banking business, with effect from the close of business on **June 18, 2026**.

2. परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण **18 जून 2026** की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from **June 18, 2026**.

3. कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात **18 जून 2026**, उस बैंक में उसकी जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India
वेबसाइट/ Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/ Email : dicgc@rbi.org.in

Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of **Shree Mahalaxmi Urban Co-operative Credit Bank Ltd., Gokak, Karnataka**, an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., **June 18, 2026**, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

एन. अरुण विष्णु कुमार
निदेशक (ई)

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2026-2027/9